संख्या- 1368 /2016/ /पांच-1-2016-9(163)/09

प्रेषक,

रवीन्द्र नाथ सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग 1 — लखनऊ: दिनांक: 26 सितम्बर, 2016

विषय:- 108 समाजवादी एम्बुलेन्स सेवा के संचालन के सापेक्ष व्ययभार को वहन किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के प्राविधानित धनराशि की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-29फ/10(34)/16/135, दिनांक-24.08.2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पूर्व में आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में शासनादेश संख्या-34/2016/557/पांच-1-2016-9(163)/09, दिनांक 12.05.2016 के माध्यम से 108 समाजवादी एम्बुलेन्स सेवा के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या-32 के लेखाशीर्षक 2210-चिकित्सातथा लोक स्वास्थ्य-03-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें- पाश्चात्य चिकित्सापद्धति -110-अस्पताल तथा औषधालय-03-108 ई0एम0टी0एस0 "समाजवादी स्वास्थ्य सेवा" का संचालन-42-अन्यव्यय के अंतर्गत आयोजनागत मद में प्राविधानित धनराशि रू0-2,50,00,00,000/-(रू0-दो सौ पचास करोड) मात्र में से रू0 70,00,00,000/- (रूपये सत्तर करोड) मात्र की धनराशि आपके निवर्तन रखी गयी है। आप द्वारा संदर्भित पत्र दिनांक 24.08.2016 के माध्यम से किये गये अनुरोध के दृष्टिगत पुन: धनराशि रू0 100.00 करोड (रूपये सौ करोड) मात्र को निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

1- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर वित्त एवं उद्योग विभाग द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है। उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी मद में किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- उक्त स्वीकृति वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक-22-03-2016 के अधीन होगी तथा धनराशि का आहरण एकमुश्त के रूप में नहीं किया जायेगा और न ही स्वीकृत धनराशि को किसी बैंक खाते आदि में जमा किया जायेगा।

3- स्वीकृत धनराशि का व्यय के फलस्वरूप नियमानुसार निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

4- उपर्युक्तानुसार स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण/वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को नियमित रूप से प्रत्येक माह उपलब्ध कराया जायेगा।

5- स्वीकृत धनराशि महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा राज्य स्वास्थ्य समिति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को हस्तगत करायी जायेगी।

6- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय किसी अन्य मद मे कदापि नहीं किया जायेगा।

7- उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का वहन वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या- 32 के लेखाशीर्षक 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य (आयोजनागत) 03-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाऐं-पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति-110-अस्पताल तथा औषधालय-03-108 ईएमटीएस "समाजवादी स्वास्थ्य सेवा" का संचालन- 42 अन्य व्यय के अंतर्गत आयोजानागत मद से किया जायेगा।

8- यह आदेश् वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक-22-3-2016 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अंतर्गत जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(रवीन्द्र नाथ सिंह)
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4- मिशन निदेशक, एन0एच0एम0 उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5- महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0।
6- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0 ।
7- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

8- समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, उ0प्र0।
9- समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उ0प्र0।
10- समस्त मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक, जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, एन0एच0एम0, उ0प्र0।
11- वित्त नियंत्रक, परिवार कल्याण/ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं/ एन0एच0एम0, उ0प्र0 लखनऊ।
12- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
13- सहायक निदेशक, सूचना, उ0प्र0 शासन।
14- कम्प्यूटर सेल प्रभारी, एन0एच0एम0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त शासनादेश विभागीय वेबसाइट पर डाउनलोड करायें।
15- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
16- गार्ड फाईल/समन्वय सहायक।

आज्ञा से,

(रवीन्द्र नाथ सिंह)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।